संख्याः- 5/2017 /जी-2 36 /दस-2017- 2(जी0पी0एफ0)/2017

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2017

विषयः सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के अन्तिम प्रत्याहरण संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्या-निधि-1/एम0बी0आर0सेल/310, दिनांक 01-09-2016 द्वारा चिकित्सा विभाग के अधीन कार्यरत कतिपय कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खाते से अनियमित/त्रुटिपूर्ण आहरण किये जाने के फलस्वरूप अन्तिम भुगतान ऋणात्मक हो जाने के प्रकरणों को शासन को संदर्भित करते हुए यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि आहरण वितरण अधिकारीगण द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सामान्य भविष्य निधि अभिदातागण के सेवा काल के अन्तिम वर्ष में अनियमितता पूर्ण बड़ी धनराशियो का आहरण किये जाने के फलस्वरूप अन्तिम भुगतान ऋणात्मक आगणित हो जाता है, अतएव महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि कार्मिक के सेवाकाल के अन्तिम वर्ष में अनियमित रूप से भारी धनराशि के आहरण/संवितरण किये जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगायी जाय एवं महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रेषित लेखा सत्यापन का ससमय लेखाकरण करने के उपरान्त ही 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाय। उल्लेखनीय है कि महालेखाकार कार्यालय के उक्त पत्र में दर्शाये गये प्रकरणों के अतिरिक्त ऐसे कतिपय अन्य प्रकरण भी महालेखाकर कार्यालय द्वारा शासन के संज्ञान में लाये गये हैं।

2- उत्तर प्रदेश भविष्य निधि नियमावली, 1985 के नियम-16 में निधि से अन्तिम प्रत्याहरण स्वीकृत किये जाने के संबंध में विस्तृत शर्ते एवं स्पष्टीकरण निर्गत किये गये हैं, जिनका, अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि खाते से अनियमित/त्रुटिपूर्ण भुगतान के फलस्वरूप अन्तिम भुगतान ऋणात्मक होने की स्थिति कदापि संतोषजनक नहीं कही जा सकती है तथा इस पर रोक लगाया जाना आवश्यक है।

3- अतएव प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया किसी भी

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते से अन्तिम आहरण के संबंध में नियमावली में दिये गये सुसंगत नियम/प्राविधान का सम्यक् अनुपालन संबंधित आहरण/वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाय तथा सेवाकाल के अंतिम वर्ष में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से अंतिम आहरण के प्रकरणों में पूर्ण सावधानी बरती जाय ताकि अंतिम ऋणात्मक भुगतान की स्थिति न उत्पन्न हो।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव

संख्याः- 5/2017 /जी-2 36 /दस-2017- 2(जी0पी0एफ0)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी)-।।, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
अर्जुन सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।